

मध्यप्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय  
वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक एफ12-83/2018/18-5

भोपाल, दिनांक / /

कार्यवाही विवरण

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के तहत गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) बैठक।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रिंसिपल बैच नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक ओए नंबर 673/2018 में दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश की खाननदी-इन्दौर, क्षिप्रानदी-उज्जैन, चम्बलनदी-नागदा एवं बेतवानदी-मण्डीदीप के पुनरुद्धार हेतु एक्शन प्लान आदेश तैयार किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग, मंत्रालय का आदेश क्रमांक एफ 12-83/2018/18-5 दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के माध्यम से गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) की बैठक दिनांक 12/11/2018 को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। (संलग्न-1)


मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर प्रारूप कार्ययोजनायें बनाई गई हैं जिनका प्रस्तुतीकरण संबंधित बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष किया गया। समिति द्वारा कार्ययोजनाओं पर माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के आदेश के सापेक्ष चर्चा की गई। बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं में शामिल होने वाले स्टैकहोल्डर्स जैसे : उद्योग विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, वन विभाग व केन्द्रीय भू-जल बोर्ड आदि का उल्लेख किया गया एवं इन विभागों से संबंधित योजनाओं लागू करने के संबंध में संबंधित विभागों का भी मत लिये जाने का अनुरोध किया गया।

नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) द्वारा चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :

1. बोर्ड द्वारा तैयार प्रारूप कार्ययोजनाओं को संबंधित विभागीय स्टैकहोल्डर्स को भेजकर कार्ययोजना समयावधियों पर सुझाव प्राप्त कर लिये जावे।
2. बोर्ड द्वारा तैयार प्रारूप कार्ययोजनाओं को दिनांक 19/11/2018 के पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जावे तथा अवगत करा दिया जावे कि योजनाओं पर संबंधित विभागों से यदि सुझाव प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी परीक्षण उपरान्त योजना में शामिल किया जयेगा।
3. समिति के अनुसार आगामी बैठकों में सभी संबंधित स्टैकहोल्डर्स को भी बुलाया जावे।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
(कैलाश बुन्देला)  
उप सचिव

निरंतर....2

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर सूचनार्थ लेख है कि कार्ययोजना के आपके विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर सहमति/सुझाव दिये जाने का अनुरोध है।
2. आयुक्त, उद्योग संचालनालय विन्ध्यान्वुल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ लेख है कि कार्ययोजना के आपके विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर सहमति/सुझाव दिये जाने का अनुरोध है।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन/इन्दौर/भोपाल की ओर सूचनार्थ लेख है कि संबंधित विभागों के साथ तालमेल कर कार्ययोजनाओं पर टीप प्राप्त करें।

माननीय अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के तहत रिवर रिजूवेनेशन कमेटी(आरआरसी) की मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आयोजित बैठक दिनांक 12.11.2018

स. कं.	नाम एवं पदनाम	विभाग	ई-मेल/ मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	डॉ. उल्लास कुरेला उपनिष्ठा	पर्यावरण	9425316690	
2	कमल पाठक Sir	MSME Dept.	9425374204	
3	Suresh Sengar	SE UADD	9425168717	
4	R.K. Gupta,	RO, MPPCB Indore	9425096862	
5	P.S. Bundela	RO MPPCB BPL	9407001317	
6	P.K. TRIVEDI	RO MPPCB Ujjain	78984-91421	
7	P.R. Deo	SSO MPPCB Bhopal	9827570974	
8	Dr. A.C. Karan	CC, RO MPPCB Bhopal	9993027243	
9	H.S. Malviya	SE, MPPCB	9425012228	